पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2011 ई0 (अग्रहायण 19, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–50

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	437–442	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	385–386	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	49–55	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय-ज्ञाप

18 नवम्बर, 2011 ई0

संख्या 2920/VII-II-11/68-रिट/2008–उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराइजरों को अनुज्ञा दिये जाने में पर्यावरण संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम, प्रदेश के जन साधारण को प्रदूषणमुक्त वातावरण दिये जाने एवं ऐसी इकाईयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये निम्नवत् नीति प्रख्यापित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड के "पर्वतीय क्षेत्र" हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा नीति, 2011

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(क) इस नीति का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा नीति, 2011" है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं–

जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो–

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;

(च) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है;

(छ) "शब्द और पद", जो परिभाषित नहीं है परन्तु सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम दिये गये हैं;

(ज) "पर्वतीय क्षेत्र" से जनपद उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत (टनकपुर ब्लाक छोड़कर), नैनीताल (हल्द्वानी ब्लाक, रामनगर ब्लाक छोड़कर), देहरादून (सहसपुर ब्लाक, डोईवाला ब्लाक, रायपुर ब्लाक छोड़कर) क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का स्थान चयन हेतु समिति का गठन–

(क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित होने वाले ऐसे क्रेशर/प्लान्टों के चयनित स्थल की जांच निम्नवत् गठित समिति करेगी। समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयंत्र)	अध्यक्ष
प्रभागीय वनाधिकारी या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
भू-वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय	सदस्य
खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य सचिव

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु मानक–

क्र0 सं0	स्थान	संयंत्र से न्यूनतम दूरी
1	2	3
1.	सरकारी वन	100 मीटर
2.	नदी के किनारे से	100 मीटर
3.	धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	125 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम	175 मीटर
5.	आवासीय भवन (एक परिवार का एक मकान)	125 मीटर
6.	आवासीय क्षेत्र (एक से अधिक मकान तथा एक से अधिक परिवार)	175 मीटर

(क) विशेष परिस्थितियों में समिति द्वारा स्टोन क्रेशर के स्थापना से सम्बन्धित किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा उपरोक्त मानकों को शिथिल करते हुये स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

(ख) उक्त समिति का यदि समाधान हो जाये कि ऐसा करना आवश्यक है तथा क्रेशर का व्यवसायिक उपयोग न होने के दृष्टिगत उन जल विद्युत परियोजनाओं, जिनके सम्बन्ध में पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण प्रभाव आगणन अधिसूचना) जारी हो चुकी हो तथा जिनको वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त हो गई हो, के सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना तथा अनुमति के आधार पर आवश्यकतानुसार, परियोजना परिक्षेत्र के अन्तर्गत केवल परियोजनाओं में प्रयोग हेतु स्टोन क्रेशर उत्पादों के निमित्त स्टोन क्रेशर स्थापित करने के प्रयोजनार्थ वर्णित दूरियों में शिथिलता प्रदान करने की संस्तुति कर सकेगी।

5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल एवं क्षमता–

क्र0 सं0	संयंत्र	उत्पादन क्षमता	क्षेत्रफल
1.	स्टोन क्रेशर	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/2 एकड़ अतिरिक्त
2.	स्क्रीनिंग प्लान्ट	क्षमता 200 टन प्रतिदिन तक	न्यूनतम क्षेत्रफल 1/2 एकड़
		200 टन प्रतिदिन से अधिक	प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन अथवा उसके भाग पर 1/4 एकड़ अतिरिक्त

(क) समिति द्वारा स्टोन क्रेशर के स्थापना से सम्बन्धित किसी मानक को शिथिल किये जाने की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

6. पल्वराईजर (Pulverizer) का स्थान–

(क) राज्य सरकार राज्य में कार्यरत तथा स्थापित होने वाले पल्वराईजर हेतु निम्नलिखित समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित करेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगाः–

उपजिलाधिकारी (जिस क्षेत्र में प्रस्तावित/कार्यरत संयंत्र)	अध्यक्ष
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स कार्यालय	सदस्य
खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य सचिव

(ख) पल्वराईजर प्लांट केवल बन्द गोदाम में स्थापित होंगे।

7. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन–

(क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/प्लवराईजर में कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण एवं परिवहन उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के प्राविधानों के अधीन करना होगा। जिसके अभिलेखों एवं भण्डारणों का परीक्षण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा किया जायेगा।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट परिसर में न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर 13 फीट से अधिक ऊँचाई तक कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण न हो। यदि कच्चे माल/तैयार माल का भण्डारण की ऊँचाई निर्धारित मानक [बिन्दु 8 (ग) में वर्णित] से अधिक होती है तो उक्त भण्डारण को अवैध भण्डारण मानते हुए स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के विरुद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के अनुसार जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद) द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

8. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के स्वामी के दायित्व–

(क) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट के अनुसार स्थापित होना अनिवार्य है।

(ख) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) परिसर की चार दीवारी (Boundary wall) के अन्दर मध्य में स्थापित होना चाहिये।

(ग) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ कम से कम 15 फीट ऊँची चार दीवारी का निर्माण इकाई की परिधि में किया जाना होगा। न्यूनतम 15 फीट की ऊँचाई की चार दीवारी के अन्दर अधिकतम 13 फीट ऊँचाई तक कच्चे माल या तैयार माल का भण्डारण किया जा सकेगा। यदि इकाई परिसर में 13 फीट से अधिक ऊँचाई के तैयार व कच्चे माल के भण्डारण की आवश्यकता है, तो चार दीवारी की ऊँचाई उक्त ऊँचाई से दो फीट प्रति एक फीट कच्चे व तैयार माल की ऊँचाई के अनुसार बढ़ाई जानी होगी। चार दीवारी की डिजाईन सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जानी होगी। जिससे की चार दीवारी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऊँचाई का सत्यापन खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत जनपद के लिये) एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि से कराया जाना होगा।

(घ) धूल के कणों का उत्सर्जन को रोकने की विधि (Dust Extractors) या धूल के कणों को हवा में उड़ने से रोकने की विधि (Water Sprinklers) का प्रभावी उपयोग स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की उत्पादन क्षमता के अनुरूप उपयोग करना होगा।

(ङ) ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु स्टोन क्रेसिंग संयंत्र को बन्द दो दीवारों वाले चैम्बर में स्थापित किया जाना होगा।

(च) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(छ) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की सीमा के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र में धूल को हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव किये जाने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे धूल के कण हवा में न उड़ सकें।

(ज) स्टोन क्रेशर इकाई/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई की चार दीवारी के अन्दर कम से कम सात से दस मीटर चौड़ी तीन कतार में चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की हरित पट्टी का विकास कर उसको संरक्षित करना होगा तथा यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयंत्र चालू करने के समय अथवा छः माह की अवधि में पूर्ण कर ली जायेगी।

(झ) धूल व ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण में उपयोग होने वाली विधियां एवं उपकरण इकाई मालिक द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित करने होंगे। धूल एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण विधियों को स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट में अनवरत् कार्यरत रखने की जिम्मेदारी स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी की होगी।

(ञ) कच्चे या तैयार माल भण्डार की सतह जो कि वायु प्रदूषण करती है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी के छिड़काव से गीला रखा जाना होगा, जिससे कि वायू प्रदूषण कम हो।

9. ध्वनि प्रदूषण के मानक–

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी/प्रख्यापित आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण–

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 अनुपालन हेतु स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर में धूल उत्सर्जन (SPM) नियन्त्रण एवं वर्णित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं वायु गुणवत्ता, ध्वनि मापन मानकों के अनुसार मासिक रिपोर्ट एवं उपकरणों के रख-रखाव की रिपोर्ट प्रत्येक माह में स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर के स्वामियों को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विश्लेषण एवं परीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर स्थापना हेतु प्रोत्साहन–

(क) राज्य के अन्तर्गत चयनित राजस्व भूमि पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर स्थापना हेतु उक्त भूमि को नीलामी के माध्यम से आवेदनकर्ता को पट्टे पर दी जायेगी, जिसमें राज्य के स्थायी निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) जनपद के स्टोन क्रेशर स्वामी को उपखनिज का खनन पट्टा दिये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) शासकीय निर्माण इकाईयों/संस्थाओं के द्वारा निर्माण कार्य हेतु ग्रिट आदि क्रय करने हेतु उपलब्धता एवं दरों के आधार पर स्थानीय स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट से भी प्रस्ताव प्राप्त करते हुए विचार किया जायेगा।

(घ) पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक जनपद में दस से अधिक स्टोन क्रेशर की स्थापना नहीं की जायेगी परन्तु स्थानीय आवश्यकतानुसार समिति की स्पष्ट संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

(ङ) प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड से स्टोन क्रेशर के संचालन हेतु प्रति वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रथा को शिथिल करते हुए प्रतिवर्ष पर्यावरणीय जांच/निरीक्षण आख्या में कोई प्रतिकूल आदेश न होने तक स्वतः चालू रखने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

12. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर अनुज्ञा की स्वीकृति–

(क) इस नीति के उपरान्त प्रदेश में स्थापित/नवीनीकृत होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराईजर अनुज्ञा हेतु पंजीकरण कराने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) उत्पादन क्षमता 200 टन प्रतिदिन हेतु एवं उसके ऊपर प्रति 100 टन अथवा भाग पर रु0 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) के अतिरिक्त शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक 0853–अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करा कर आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर क्षेत्र का राजस्व मानचित्र एवं साईट प्लान जिसमें प्रस्तावित संयंत्र का ब्यौरा अंकित हो निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को जमा किया जायेगा।

(ख) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा पंजीकरण के उपरान्त तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड से संयंत्र चालू करने की अनुमति के उपरान्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इण्टरप्राईजेज एक्ट (MSME) के अधीन जिला उद्योग केन्द्र में रिटर्न दाखिल करना होगा।

(ग) वर्तमान में चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर भी उक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(घ) पूर्व से चल रहे स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर को नये स्थान पर इस नीति के लागू होने की तिथि से तीन वर्ष में स्थानान्तरित करना होगा। उक्त अवधि के अन्दर यदि वे उक्त इकाईयों को स्थानान्तरित नहीं करते हैं तो उनकी अनुज्ञा का नवीनीकरण अग्रेत्तर नहीं किया जायेगा। नीति के प्रख्यापन की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर भी नई इकाईयों के लिये न तो ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा की स्वीकृति दी जायेगी और न ही पुरानी अनुज्ञा की अवधि में विस्तार की जायेगी। पुरानी इकाईयों के लिये कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण एवं परिवहन, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के लिये भण्डारण की अनुज्ञा भी उक्तवत अवधि तक ही दी जायेगी। इस अवधि में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Consent to Operate की अनापत्ति निर्धारित मानकों के पूर्ण होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

(ङ) प्रस्तर 3(क) एवं 5(क) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की गठित समिति स्थापित होने वाले एवं चालू स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु सदस्य सचिव के माध्यम से समिति, संयुक्त निरीक्षण कर चयनित स्थल की रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा उक्तानुसार संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन स्तर से अनुज्ञा स्वीकृति दिये जाने हेतु शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा (03) तीन वर्ष की अवधि के लिये अनुज्ञा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(च) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण (03) तीन वर्ष की समय सीमा के पश्चात् किया जायेगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/615–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2011 ई0 (अग्रहायण 19, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

November 02, 2011

No. 244/UHC/Admin. A/2011--Sri Rajeev Kumar, Addl. Chief Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi, *vice* Sri Ajay Chaudhary.

No. 245/UHC/Admin. A/2011--Smt. Anjushree Juyal, [Asstt. Sessions Judge/8th F.T.C., Civil Judge (Sr. Div.)], Haldwani, Distt. Nainital, is posted as Addl. Chief Judicial Magistrate (Railway), Haldwani, Distt. Nainital, *vice* Sri Manish Kumar Pandey.

No. 246/UHC/Admin. A/2011--Sri Mohd. Sultan, Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Almora, *vice* Sri Bindhyachal Singh. He shall also discharge the duties of Civil Judge (Sr. Div.), Almora, in addition to his duties.

No. 247/UHC/Admin. A/2011--Smt. Shadab Bano, 1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, is posted as Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Manish Mishra.

No. 248/UHC/Admin. A/2011--Sri Naseem Ahmad, 1st Addl. Chief Judicial Magistrate, Dehradun, is posted as Chief Judicial Magistrate, Dehradun, *vice* Sri Kanwar Amninder Singh.

No. 249/UHC/Admin. A/2011--Sri Nandan Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar, is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Tehri Garhwal, *vice* Sri Subir Kumar.

No. 250/UHC/Admin. A/2011--Sri Pradeep Kumar Mani, 1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, *vice* Sri Mohd. Sultan.

No. 251/UHC/Admin. A/2011--Sri Rajoo Kumar Srivastava, Addl. Chief Judicial Magistrate, Hardwar, is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate,Champawat, *vice* Sri Brijendra Singh. He shall also discharge the duties of Civil Judge (Sr. Div.), Champawat, in addition to his duties.

No. 252/UHC/Admin. A/2011--Ms. Parul Gairola, Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, Distt. Hardwar, *vice* Smt. Neena Aggarwal.

No. 253/UHC/Admin. A/2011--Ms. Reena Negi, 2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, *vice* Sri Bharat Bhushan Pandey.

No. 254/UHC/Admin. A/2011--Sri Ashutosh Kumar Mishra, 3rd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, is transferred and posted as Addl. Chief Judicial Magistrate, Kashipur, Distt. Udham Singh Nagar, *vice* Sri Rajeev Kumar.

No. 255/UHC/Admin. A/2011--Sri Manish Kumar Pandey, Addl. Chief Judicial Magistrate (Railway), Haldwani, Distt. Nainital is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Chamoli, *vice* Smt. Rama Pandey.

By Order of the Court,

Sd/-
K. D. BHATT,
Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/615–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2011 ई0 (अग्रहायण 19, 1933 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर निगम, हरिद्वार

उपविधि, 2011

16–06–2011 ई0

पत्रांक 416/सॉलिड वेस्ट/2011-12–नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2)(झ) के अन्तर्गत तैयार की गई "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2011" पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण होने के उपरान्त जिलाधिकारी, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या–658(IV)–श0वि0–11–27(जेएनएनयूआरएम)/2008, दिनांक 20 मई, 2011 द्वारा यूजर चार्जेज नोटीफाइड सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त होने के फलस्वरूप नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार के विघटन के पश्चात् नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541(42) के अन्तर्गत "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2011" जिसका पाण्डुलेख शासन द्वारा अनुमोदित हुआ है।

मैं, डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्, प्रशासक, नगर निगम, हरिद्वार "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2011" के नगर निगम, हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत गजट नोटिफिकेशन की तिथि से निम्नानुसार लागू करता हूं :–

नगर निगम, हरिद्वार की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2011

1. यह उपविधि नगर निगम, हरिद्वार की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2011" कहलायेगी।

2. यह उपविधि नगर निगम, हरिद्वार के समस्त क्षेत्र में प्रभावी होगी।

3. यह उपविधि सरकारी गजट, उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4. परिभाषायें–

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक प्ररिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से

(iii) "नगर निगम" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद, 243थ के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर निगम से है;

(iv) "मुख्य नगर अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम अधिनियम, 1959 में अधीन नियुक्त मुख्य नगर अधिकारी से है;

(v) "स्वास्थ्य अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम, हरिद्वार में शासन द्वारा तैनात स्वास्थ्य अधिकारी से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर निगम, के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिये शासन या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य मुख्य नगर अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, उप नगर अधिकारी, सहायक नगर अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जोनल सेनेटरी अधिकारी, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है जिन्हें समय-समय पर मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया है;

(vii) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 648, नई दिल्ली, मंगलवार, 03 अक्टूबर, 2000, असाधारण अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन), नियम, 2000 बनाये गये से है;

(viii) "अधिनियम" से तात्पर्य (उत्तर प्रदेश)/उत्तराखण्ड, नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (biodegrabable waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिल्के, फूलों-पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि;

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट (non-biodegrabable waste) का तात्पर्य ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा-कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है;

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (recyclable waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लॉस्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि;

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (biomedical waste)" से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान क्रिया-कलापों या जैविकों के उत्पादन या परिक्षण के दौरान हुआ हो;

(xiii) "संग्रहण (collection)" से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है;

(xiv) "कचरा खाद बनाने (composting)" से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनीक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है;

(xv) "ढ़हान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (demolition and construction waste)" से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढ़हाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरुप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है;

(xvi) "व्ययन" (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है;

(xvii) "अपशिष्टों के उत्पादक (generator of waste)" से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थान से अभिप्रेत है;

(xviii) "भूमिकरण (landfilling)" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिये संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है;

(xix) "निक्षालितक" (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धूलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है;

(xx) "नगरपालिका प्राधिकारी (municipal authority)" से म्युनिसिपल कार्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटि, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है;

(xxi) "स्थानीय प्राधिकारी(local authority)" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है;

(xxii) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (municipal solid waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है;

(xxiii) "सुविधा के परिचालक (operator of facility)" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है;

(xxiv) "पुनः चक्रण (recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिये पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नही भी हो सकता है;

(xxv) "पृथक्करण (segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग-अलग करना अभिप्रेत है;

(xxvi) "भण्डारण (storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थायी रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके;

(xxvii) "परिवहन (transportation)" से विशेष रूप से डिजाईन की गयी परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment), नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर निगम के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर निगम के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिये अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय-समय पर संशोधित की जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिये जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढ़हान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिये नगर निगम से सम्पर्क कर निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा करना सम्भव न हो तो नगर निगम से सम्पर्क कर निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा, किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार-द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है जो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर निगम/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिये स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर निगम/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रु0 5.00 के पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

17. इस उपविधि के अन्तर्गत देय धनराशि नगर निगम अधिनियम, 1959 के अध्याय 21 में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

18. उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने पर प्रथम दोष सिद्धि के लिये रु0 500.00 तक अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर रु0 20.00 प्रतिदिन का अर्थदण्ड होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges)

	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी / अपशिष्ट के प्रकार		प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि रु0 में
1		2	
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बी0पी0एल0 कार्ड धारक)	कच्ची झोपड़ी	रु0 5.00 प्रतिमाह
		पक्का मकान	रु0 10.00 प्रतिमाह
2.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0 कार्ड धारक के अतिरिक्त रु0 5000.00 प्रतिमाह आय वाले घर)		रु0 20.00 प्रतिमाह
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर		रु0 30.00 प्रतिमाह
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में	रु0 5.00 प्रतिदिन,
		दुकान / फड़ पर	रु0 150.00 प्रतिमाह
5.	मांस एवं मछली विक्रेता		रु0 1000.00 प्रतिमाह
6.	रेस्टोरेन्ट	छोटे	रु0 150.00 प्रतिमाह,
		मध्यम	रु0 400.00 प्रतिमाह,
		बड़े	रु0 1000.00 प्रतिमाह
7.	होटल / लाजिंग / गेस्ट हाऊस		रु0 10.00 प्रति कमरा प्रतिमाह
8.	आश्रम / अखाड़ा		रु0 1.00 प्रति कमरा प्रतिमाह

1	2		
9. धर्मशाला		रु0 1.00	प्रति कमरा प्रतिमाह
10. बारातघर (चैरिटैबल)		रु0 250.00	प्रति उत्सव
बारातघर (नॉन चैरिटैबल)		रु0 500.00	प्रति उत्सव
11. बैकरी		रु0 150.00	प्रतिमाह
12. कार्यालय	न्यूनतम	रु0 100.00,	
	51 कर्मचारियों से 100 तक	रु0 200.00,	
	101 से 300 तक	रु0 300.00	एवं
	उससे अधिक पर	रु0 500.00	प्रतिमाह
13. स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)		रु0 10.00	प्रति बैड/प्रतिमाह
14. स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक	रु0 200.00	प्रतिमाह
	उससे अधिक	रु0 500.00	प्रतिमाह
15. हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)		रु0 10.00	प्रति बैड/प्रतिमाह
16. क्लीनिक (मेडिकल)		रु0 200.00	प्रतिमाह
17. दुकान		रु0 150.00	प्रतिमाह
18. फैक्ट्री	छोटी	रु0 150.00	प्रतिमाह,
	मध्यम	रु0 400.00	प्रतिमाह तथा
	बड़ी	रु0 1000.00	प्रतिमाह
19. वर्कशॉप	छोटे रु0 200.00, बड़े	रु0 500.00	प्रतिमाह
कबाड़ी	छोटे रु0 100.00, बड़े	रु0 300.00	प्रतिमाह
20. गन्ने का रस/जूस विक्रेता		रु0 300.00	प्रतिमाह
21. सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी		रु0 500.00	प्रतिदिन
22. ढ़हान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक रु0 100.00, 1.0 घन मी0 तक रु0 200.00, 3.0 घन मी0 तक रु0 500.00, 6.0 घन मी0 तक रु0 1000.00, इससे अधिक प्रति घन मी0 रु0 200.00 अतिरिक्त।		

जैविक (Biodegrable) अपशिष्ट	पुनः चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ खाद्य अपशिष्ट जिसमें अण्डे के छिलके एवं हड्डियां भी हो सकती हैं	कागज तथा हर प्रकार का प्लॉस्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल, फ्लैसाईट/कार बैटरी
घरेलू झाड़े से निकली गंदगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लोचें, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनेटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटमय को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार का कॉच/धातु/रबड़/लकड़ी	रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाइल, पुड़िया, ट्रेटोपैक, कैसेट कम्प्यूटर, डिस्केट, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन सुई तथा सिरिंज, खराब दवाईयां कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाईट बल्ब, ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लोसेन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गोंद, थ्रीनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी के रसायन

डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रशासक,
नगर निगम, हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 50 हिन्दी गजट/615—भाग 8—2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।